रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072020-220576
CG-DL-E-17072020-220576

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2082] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2020/ आषाढ़ 25, 1942
No. 2082] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2020/ASADHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

का.आ. 2365(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. १७७५ (इ), दीनांक ०५/०६/२०२०, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में NH51 के कि.मी. 263.00 से कि.मी.306.08 (गडु-पोरबंदर सेक्शन का हिस्सा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"१०/०६/२०२०"** को **"इंडियन एक्सप्रेस"** और **"दिव्या भास्कर"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गयी है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का

पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में NH51 के कि.मी. 263.00 से कि.मी.306.08 (गडु-पोरबंदर सेक्शन का हिस्सा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		**जिले का नाम: जूनागढ़**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मलिए				
	गांव का नाम: चोरवाड				
1	1179	निजी	एग्रीकल्चर	0.0249	लिलिबेन उर्फ़े अजैबेन रूदाभाई जादव, लखमनभाई हमीरभाई शामला, जीवीबेन हमीरभाई शामला, भिनिबेन हमीरभाई शामला, विधवा राम्भिबेन दानाभाई शामला, परमीबेन दानाभाई शामला, रूदाभाई दानाभाई शामला, नाजाभाई दानाभाई शामला, विधवा नाथीबेन साजनभाई शामला, भगाभई साजनभाई शामला, अरजणभाई साजनभाई शामला, विराभाई जीवणभाई शामला, हीराभाई जीवणभाई शामला, जानाबेन जीवणभाई शामला, रामभाई जीवणभाई शामला, नथूभाई मेरामनभाई शामला, देवीबेन मेरामनभाई शामला, राम्भिबेन मेरामनभाई शामला, मलाईबेन जीवाभाई शामला, पालाभाई जीवाभाई शामला, रामाभाई जीवाभाई शामला, अमरजीभाई जीवाभाई शामला, रुपाइबेन जीवाभाई शामला, जेठीबेन जीवाभाई शामला, विधवा कडवीबेन पोलाभाई शामला, करशनभाई

					पोलाभाई शामला, भगाभई पोलाभाई शामला, कानाभाई आलाभाई चावड़ा, कविबेन आलाभाई चावड़ा, राजाभाई आलाभाई चावड़ा, वेजीबेन काराभाई शामला, हरदासभाई काराभाई शामला, डायाभाई काराभाई शामला (११७९)
	तालुक का नाम: मांगरोल				
	गांव का नाम: आंतरोलि				
1	217 / 1 / P22	निजी	एग्रीकल्चर	0.0638	अरजणभाई मेराभाई केशवाला, वीरमभाई मेराभाई केशवाला, नोंधणभाई मेराभाई केशवाला, नाथीबेन मेराभाई केशवाला, हिरिबेन मेराभाई केशवाला, भूरिबेन मेराभाई केशवाला, साकरबेन मेराभाई केशवाला, वालीबेन मेराभाई केशवाला, राजेशभाई अभुभाई केशवाला सगीर, काजलबेन अभुभाई केशवाला सगीर, न वाली मणिबेन अभुभाई केशवाला (२१७/१/पै.२२)
			कुल	**0.0887**	

[फा.सं. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2020

S.O. 2365(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO No.1775 (E), dated 05/06/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH51 on the stretch of land from Km 263.00 to Km 306.08 (Part of Gadu-Porbandar Section) in the district of JUNAGADH in the state of GUJARAT;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Indian Express" and "Divya Bhaskar" both dated 10/06/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No any objections are received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers

conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH51 in the stretch of land from Km 263.00 to Km 306.08 (Part of Gadu-Porbandar Section) in the district of JUNAGADH in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		**District: JUNAGADH**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Malia				
	Viilage: Chorwad				
1	1179	Private	Agriculture	0.0249	Liliben Urfe Azaiben Rudabhai Jadav, Lakhmanbhai Hamirbhai Shamla, Jiviben Hamirbhai Shamla, Bhiniben Hamirbhai Shamla, widow Rambhiban Danabhai Shamla, Parmiben Danabhai Shamla, Rudabhai Danabhai Shamla, Najabhai Danabhai Shamla, widow Nathiben Sajanbhai Shamla, Bhagabhai Sajanbhai Shamla, Arjanbhai Sajanbhai Shamla, Virabhai Jeevanbhai Shamla, Hirabhai Jeevanabhai Shamla, Janaben Jeevanabhai Shamla, Rambhai Jeevanabhai Shamla, Nathubhai Meramanbhai Shamla, Deviben Meramanbhai Shamla, Rambhiben Meramanbhai Shamla, Malaiben Jeevabhai Shamla, Palabhai Jeevabhai Shamla, Ramabhai Jeevabhai Shamla, Amarjibhai Jeevabhai Shamla, Rupaiben Jeevabhai Shamla, Jethiben Jeevabhai Shamla, Widows Kadviben Polabhai Shamla, Karshanbhai Polabhai Shamla, Bhagabhai Polabhai Shamla, Kanabhai Alabhai Chavda, Kaviben Alabhai Chavda, Rajabhai Alabhai Chavda, Vejiben Karabhai Shamla, Hardasbhai Karabhai Shamla, Dayabhai Karabhai Shamla 1179
	Taluk: Mangrol				

	Viilage: Antroli				
1	217 / 1 / P22	Private	Agriculture	0.0638	Arjanbhai Merabhai Keshwala, Veerambhai Merabhai Keshwala, Nondhanbhai Merabhai Keshwala, Nathiben Merabhai Keshwala, Hiriben Merabhai Keshwala, Bhuriben Merabhai Keshwala, Sakarben Merabhai Keshwala, Valiben Merabhai Keshwala, Rajeshbhai Abhubhai Keshwala Sagir, Kajalben Abhubhai Keshwala Sagir, Naali Maniben Abhubhai Keshwala 217/1/P22
			TOTAL	**0.0887**	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.17 20:52:42 +05:30